



## संस्थागत उपयोग

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन अधिनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुक्षीप होंगे। परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप - पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर लेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ (पंजीकृत - विक्रय प. आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी से अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ कृषण वायी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कार्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/ पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की तिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन से पश्चात नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है, तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य .....

## लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा
1. पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि ..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य विनियम राशि: 262-640 / रु. लीज राशि: विभा. शुल्क: 433356 / रु. राशि: .....  
साईट प्लान

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रतिकल राशि

भूखण्ड के पट्टेसकी सीमाओं का विवरण

पूर्व 30° नौरा आम रास्ता पश्चिम उत्तम सी भूमि संलग्न है।  
उत्तर पश्चिम व नौरा की भूमि दक्षिण प्रोत्पा व अन्य की भूमि

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

साक्षी:-

हस्ताक्षर

नाम धार

नाम धार

पता धार

पता धार

.....  
अध्यक्ष  
नगर पालिका उदयपुरवादी

.....  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका उदयपुरवादी

\* पंजीकृत/ पृष्ठांकन संलग्न है।

\* Registered and Endorsement Attached

प्रधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

.....  
साक्षी  
श्री टीडरमल महाविद्यालय,  
उदयपुरवादी (झुंझुं)



# नगर पालिका मण्डल

उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.) 333307

प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2021-22


पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

## संस्थागत उपयोग

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक 253

दिनांक 12-09-2022



पट्टा धारक का नाम - रामकृष्ण परमहंस चेल्लेवर ऐज्युकेशन सोसायटी  
जरिये- पवन कुमार मिश्रा पुत्र/पुत्री/पत्नी परशुराम मिश्रा

निवासी - वाई नं. 08, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)  
अथवा

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र / पुत्री .....

निवासी .....

खसरा नं. 367 शहर क्षेत्रफल - 4506 वर्ग मीटर में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा  
दिनांक 12-09-22 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

• पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

• Registered and Endorsement Attached

अध्यक्ष  
नगरपालिका उदयपुरवाटी

अधिसूची अधिकारी  
नगरपालिका उदयपुरवाटी

सचिव  
श्री टोडरमल महाविद्यालय,  
उदयपुरवाटी (झुंझुनू)



## संस्थागत उपयोग

### पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा-विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन अधिनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुक्षेप होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पत्र क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए विक्रय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय-पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी से अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को केन्द्र/राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य.....

### लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने लिखित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा वी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा
1. पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य..... सिंगल राशि 40000/- ..... प्रति वर्ष 3,20,000/- ..... बि.रा.स. 2,00,000/-

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

साइट प्लान

भूखण्ड के पट्टेस की सीमाओं का विवरण -

संलग्न है

पूर्व ..... रास्ता ..... पश्चिम ..... अन्य की भूमी .....  
उत्तर ..... अन्य की भूमी ..... दक्षिण ..... अन्य की भूमी .....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....  
2. ....


साक्षी :-  
हस्ताक्षर .....

नाम .....  
पता .....  
पता ..... 20-उदयपुरवाडी

अध्यक्ष  
अधीनस्थ अधिकारी  
अधीनस्थ अधिकारी  
नगरपालिका उदयपुरवाडी  
नगरपालिका उदयपुरवाडी

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

श्री टोडरमल महाविद्यालय,  
उदयपुरवाडी (सुंहरू)



# नगर पालिका मण्डल

उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.) 333307

प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2021-22

पट्टा - विलेख (श्री होल्ड/लीज होल्ड)

संस्थागत उपयोग

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक ०९

दिनांक ०२-१०-२०२१

पट्टा धारक का नाम - पवन कुमार मिश्रा पुत्र/पुत्री परशुराम  
पत्नी पति

निवासी - चार्ड न. 02 पावर हाउस के पास, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

पट्टा धारक मेसर्स रामकृष्ण परमहंस वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी कार्यालय पता चार्ड न. 08  
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री पवन कुमार मिश्रा पुत्र/पुत्री परशुराम

निवासी चार्ड न. 02 पावर हाउस के पास, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूखण्ड सं. 2358/2358 व 3541/2358 क्षेत्रफल - 3283 वर्ग मीटर  
मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा  
दिनांक 02.10.2021 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

अध्यक्ष  
नगर पालिका उदयपुरवाटी

अधिसापी अधिकारी  
नगर पालिका उदयपुरवाटी

नोट :- शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

\* पंजीकृत/ पृष्ठांकन संलग्न है।

\* Registered and Endorsement Attached

राचिव  
श्री टोडरमल महाविद्यालय,  
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)